UPBB010067612022

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, बाराबंकी।

अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 3312/2022

श्रीमती मिथिलेश वर्मा आयु लगभग 70 वर्ष पत्नी श्री ओम प्रकाश वर्मा, निवासिनी सी–1199 रफीनगर, शहर नवाबगंज, कोतवालीनगर, जनपद बाराबंकी।

.....आवेदिका/अभियुक्ता।

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य .....विपक्षी।

अ0सं0–731/2022
धारा–406,420,504,506 भा0द0सं0
थाना–कोतवाली, बाराबंकी।

<u>आदेश</u>

प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र आवेदिका/अभियुक्ता श्रीमती मिथिलेश वर्मा की ओर से अपराध संख्या 731/2022, अन्तर्गत धारा 406,420,504,506 भा0द0सं0, थाना कोतवाली, जिला बाराबंकी में संस्थित किया गया है। अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र शपथ पत्र से समर्थित है।

अभियोजन कथानक संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी मुकदमा राजू द्वारा पुलिस अधीद्वाक, बाराबंकी को दिये गये प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना कोतवाली में इस आशय की प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत की गयी कि वादी मुकदमा एक कम्पनी संकल्प ग्रुप के लाइफ लग केयर मल्टी स्टेट एग्रो कोआपरेटिव सोसाइटी शाखा शुक्लाई बड़ेल, थाना कोतवालीनगर, जनपद बाराबंकी में एक एजेन्ट के रूप में कार्यरत था। कम्पनी के डायरेक्टर द्वारा बताया गया कि वादी अपना व ग्राहकों का पैसा कम्पनी में जमा करायेगा तो उसका लाभ 10 से 15 प्रतिशत तक ब्याज सहित वाद को स्वयं व जमाकर्ताओं को मैच्योरिटी लाभ पूरी होने पर कम्पनी देगी। इस विश्वास पर वादी मुकदमा ने अपना व ग्राहकों का पैसा मु0 42,48,961 रूपये कम्पनी में जमा कराया। उक्त डायरेक्टर द्वारा एक फर्जी कम्पनी रैन्बो इन्वेस्टमेन्ट एवं ट्रेडिंग के नाम से अतिरिक्त लाभांश देने

के लिए ग्राहकों का मु0 8,30,000 रूपया जमा करवाया गया। कम्पनी के डायरेक्टर्स द्वारा किये जा रहे षडयन्त्र को वादी समझ नहीं पाया। काफी समय व्यतीत होने के बावजूद लोगों का पैसा कम्पनी द्वारा वापस नहीं किया गया और पैसा मांगने पर जान से मारने की धमकी दी गयी। अभियुक्तगण द्वारा फर्जी कम्पनी बनाकर वादी मुकदमा व उसके ग्राहकों को गुमराह करके लगभग 50,78,961 रूपया हड़प कर लिया गया है।

आवेदिका/अभियुक्ता के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) के तर्कों को सुना तथा प्रपत्रों का अवलोकन किया।

आवेदिका/अभियुक्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया है कि अभियुक्ता निर्दोष है। उसे रंजिशन झूठा फंसाया गया है। अभियुक्ता द्वारा कोई जालसाजी व धोखाधड़ी नहीं की गयी है। अभियुक्ता अल्प शिक्षित महिला है। अभियुक्ता ने वादी मुकदमा या अन्य किसी व्यक्ति को पैसा जमा करने के लिए कभी नहीं कहा और न कोई लालच दिया।

विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा अग्रिम जमानत प्रार्थना–पत्र का विरोध करते हुए तर्क प्रस्तुत किया गया है कि अभियुक्ता प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद अभियुक्तगण द्वारा संकल्प ग्रुप के लाइफ लग केयर मन्टी स्टेट एग्रो कोआपरेटिव सोसाइटी शाखा शुक्लाई बड़ेल, थाना कोतवालीनगर, जनपद बाराबंकी बनायी गयी और वादी मुकदमा व उसके ग्राहकों को पैसा जमा करने और फायदे के तमाम प्रलोभन देकर धनराशि जमा कराकर पैसा हड़प लिया गया। यह भी तर्क किया गया कि अभियुक्ता का आपराधिक इतिहास है। अभियुक्ता के विरूद्ध थाना कोतवाली नगर में कई मुकदमें दर्ज किये गये हैं। शासकीय अधिवक्ता फौजदारी द्वारा यह तर्क किया गया है कि अभियुक्ता एस0टी0एस0 इन्फ्रा प्रा0लि0 बाराबंकी व एम0एल0एल0सी कम्पनी की डायरेक्टर है। इन कम्पनियों द्वारा लोगों से धोखाधड़ी करते हुए आर0डी0 व एफ0डी0 के द्वारा जमा की गयी धनराशि को हड़प कर लिया गया है।

जहॉ पर दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 438 के अन्तर्गत अग्रिम जमानत हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जाता है और अभियुक्त द्वारा अग्रिम जमानत पर रिहा किये जाने हेतु याचना की जाती है, वहॉ पर न्यायालय

को अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र पर सुनवाई करते समय अभियोग की प्रकृति और अपराध की गम्भीरता को ध्यान में रखना चाहिए तथा इस तथ्य को भी ध्यान में रखना चाहिए कि क्या अभियुक्त को गिरफ्तार कराकर उसको क्षति पहुंचाने या अपमान करने के उद्देश्य से अभियोग लगाया गया है।

अभियोजन प्रपत्र, प्रथम सूचना रिपोर्ट का अवलोकन करने पर स्पष्ट होता है कि घटना की प्राथमिकी वादी मुकदमा राजू द्वारा थाना कोतवालीनगर में दिनांक 23.07.2022 को दर्ज करायी गयी। प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनुसार अभियुक्तगण ने 10 से 15 प्रतिशत तक के ब्याज का लालच देकर लोगों को पैसा जमा करने के लिए प्रेरित किया और ग्राहकों से कुल 50,78,961 रूपया संकल्प ग्रुप के लाइफ केयर मल्टी स्टेट एग्रो कोआपरेटिव सोसाइटी के खातों में जमा कराया गया और पैसों की आर0डी0 व एफ0डी0 की परिपक्वता अवधि के बाद में ग्राहकों को पैसा नहीं दिया गया। दौरान विवेचना वादी मुकदमा का बयान लिया गया, जिसमें वादी मुकदमा ने अभियोजन कथानक का समर्थन किया है तथा सी0डी0 के पर्चा नम्बर–3 में फर्द बरामदगी का उल्लेख किया गया है। वादी मुकदमा द्वारा अभियुक्ता के विरूद्ध फर्जी मुकदमा दर्ज कराकर, उसे गिरफ्तार कराकर उसकी प्रतिष्ठा को क्षति पहुंचाने का कोई युक्ति–युक्ति कारण आवेदिका/अभियुक्ता की ओर से नहीं दर्शाया गया है।

मामले के तथ्य, परिस्थितियों तथा अपराध की गम्भीरता एवं उसका समाज पर पड़ने वाले प्रभाव को दृष्टिगत रखते हुए आवेदिका/अभियुक्ता की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

तद्नुसार आवेदिका/अभियुक्ता श्रीमती मिथिलेश वर्मा की ओर से अपराध संख्या 731/2022, अन्तर्गत धारा 406,420,504,506 भा0द0सं0, थाना कोतवाली, जिला बाराबंकी में प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किया जाता है।

(रवीन्द्र नाथ दूबे)
सत्र न्यायाधीश,
बाराबंकी।
JO Code UP 6542

दिनांक 20.10.2022

Digitally signed by Ravindra Nath Dubey
Date: 2022.10.22 13:57:23 IST
Reason: Bail Order
Location: District and Sessions Court, Barabanki